R. No. 35646/79
Regd. No. MH/By-South/Tech/47-290/MBI/2003-05
Licence No. 24 - Licensed to post without prepayment. Posted at Byculla Sorting Post Office

# क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

292
नवम्बर
2003

## दिशानिर्देश

# गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के, विशेष रूप से निजी तौर पर शेयर आबंटन (प्राइवेट प्लेसमेंट रूट) के ज़रिये गैर-एसएलआर (सांविधिक चलनिधि अनुपात) निवेश पोर्टफोलयो से सामने आने वाले जोखिमों को रोकने के लिए रिज़र्व बैंक ने गैर-सांविधिक चल-निधि अपेक्षा निवेश पोर्टफोलियो प्रबंधन पर बैंकों की राय/टिप्पणी प्राप्त करने के लिए प्रारूप परिचालन दिशानिर्देश परिचालित किया था। बैंकों, फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्स ऐसोसिएशन आफ इंडिया (फिम्मडा) तथा भारतीय बैंक संघ (आइबीए) से प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर रिज़र्व बैंक ने दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया है। ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। दिशा निर्देश निम्नप्रकार हैं:

### व्याप्ति

ये दिशानिर्देश, कंपनियों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाओं, विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) आदि द्वारा जारी की गयी गैर-सांविधिक चल-निधि अनुपात प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेशों पर लागू होंगे। अलबत्ता, ये दिशानिर्देश, केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सीधे जारी की गयी उन प्रतिभूतियों में निवेश पर लागू नहीं होंगे जिनकी गणना सांविधिक चल निधि अनुपात (एसएलआर) तथा इक्विटी शेयरों में निवेश के लिए नहीं की जाती है। ये दिशानिर्देश प्राथमिक के साथ-साथ अनुषंगी बाज़ार, दोनों में निवेश पर लागू हैं।

### विनियामक अपेक्षाएँ

बैंक, वाणिज्यिक काग़ज़ात तथा जमाराशि प्रमाणपत्रों, जो रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत शामिल हैं, को छोड़कर एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता की गैर-चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों में निवेश न करें।

बैंकों को चाहिए कि वे गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों में अपने निवेशों के संबंध में समुचित सावधानी बरतें। रिज़र्व बैंक के विनियम बैंकों को कुछेक प्रयोजनों के लिए ऋण सुविधा देने से रोकते हैं। बैंक यह देखें कि ऐसी गतिविधियों का गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात के माध्यम से प्राप्त निधियों से वित्तपोषण नहीं किया जाता है।

### सूचीकरण/दर निर्धारण

- बैंक, बिना दर निर्धारण की गयी (अनरेटेड) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों में निवेश न करें।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एसईबीआइ) की शर्तों के अनुसार, निजी शेयर आबंटन आधार पर ऋण प्रतिभूतियाँ जारी करनेवाली सूचीबद्ध तथा शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध किसी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) (प्रकटन एवं निवेशक सुरक्षा) दिशानिर्देश, 2000 में निर्धारित तथा शेयर बाजार में सूचीकरण समझौते के तरीके से पूर्ण घोषणा (प्रारंभिक तथा सतत) करनी होगी। इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआइ) में पंजीकृत किसी ऋण दर निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी से निवेश श्रेणी से कम ऋण दर निर्धारण नहीं होना चाहिए। तदनुसार, नयी गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करते समय बैंक यह देखें कि ऐसे निवेश कंपनियों की उन सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों ही में किए जा रहे हैं जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआइ) की अपेक्षाओं पर खरी उतरती हैं।

### विवेकपूर्ण सीमाएँ

बैंकों के गैर-सूचीबद्ध, गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों में निवेश पिछले वर्ष के31 मार्च की स्थिति के अनुसार गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों में उनके कुल निवेश के 10 प्रतिशत से अधिक न हों।

गैर-सूचीबद्ध, गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों में बैंक के निवेश, अतिरिक्त 10 प्रतिशत के द्वारा 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक हो सकते हैं, बशर्ते ये निवेश विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) द्वारा बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (मोर्टगेज बैक्ड सिक्यूरिटीज़), आधारभूत परियोजनाओं के लिए जारी प्रतिभूतिकरण पत्रों तथा प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय आस्तियों की पुनर्संरचना और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सिक्यूरिटाइज़शन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनांशियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002) के अंतर्गत गठित तथा रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियों एवं पुनर्संरचना कंपनियों द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों के माध्यम से बॉण्डों/डिबेंचरों/प्रतिभूति पत्रों के लिए जारी की गयी प्रतिभूतियों में किये गये हैं।

वे बैंक, जिनके पास भी 31 मार्च 2003 की स्थिति के अनुसार गैर-सूचीबद्ध, गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों (नॉन-एसएलआर) में विवेकपूर्ण सीमा से अधिक निवेश का ऋण जोखिम है, ऐसी प्रतिभूतियों में कोई नया निवेश तब तक न करें जब तक कि वे विवेकपूर्ण सीमा का पालन नहीं कर लेते हैं।

### आन्तरिक आकलन

चूँकि, गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियाँ अधिकांशत: ऋण विकल्पों के रूप में हैं, बैंकों को जून 2001 में यह सूचित किया गया था कि वे (i) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों से संबंधित अपने सभी निवेश प्रस्तावों को, इस बात पर

## विषय सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| **दिशानिर्देश** | |
| गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश | 1 |
| **बैंकिंग** | |
| ग्रामीण आधारभूत विकास निधि पर ब्याज दरें संशोधित | 2 |
| विदेशी बैंकों द्वारा लाभ भेजना | 3 |
| समाशोधन अन्तर प्रविष्टियाँ | 3 |
| स्थायी सुविधाएं तर्कसंगत बनायी गयीं | 3 |
| बैंक तय करेंगे खुदरा ऋण ब्याज दर | 3 |
| प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार | 3 |
| स्टॉकनिवेश योजना समाप्त की गयी | 3 |
| **विदेशी मुद्रा** | |
| भारत में परियोजना कार्यालय खोलना और आस्तियां भेजना | 3 |
| **शहरी सहकारी बैंक** | |
| सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बांड रखने के लिए डीमैट खाता | 4 |
| डमी चेक | 4 |
| **मौद्रिक तथा ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा की मुख्य-मुख्य बातें :2003-04** | 4 |

ध्यान दिए बिना कि प्रस्तावित निवेश दर निर्धारित प्रतिभूतियों में ले सकते हैं, अपने ऋण प्रस्तावों के बराबर के ऋण मूल्यांकन के अधीन कर दें (ii) दर-निर्धारित निर्गमों के संबंध में भी वे अपना आन्तरिक ऋण विश्लेषण और दर-निर्धारण करें तथा यह कि वे बाह्य एजेंसियों के दर निर्धारण पर पूर्णत: आश्रित न रहें, तथा (iii) वे अपनी आन्तरिक दर निर्धारण प्रणाली को सुदृढ़ करें जिसमें निर्गम कर्ताओं/निर्गमों के दर-निर्धारण विचलन (माइग्रेशन) की लगातार निगरानी की दृष्टि से निर्गम कर्ताओं की वित्तीय स्थिति की नियमित (तिमाही अथवा छमाही) ट्रैकिंग की प्रणाली तैयार करना भी शामिल है।

### बोर्डों की भूमिका

बैंक यह देखें कि निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित उनकी निवेश नीतियाँ इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट संगत मामलों को ध्यान में रखकर तैयार की गयी हैं। बैंकों को चाहिए कि वे गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश में जोखिम का पता लगाने और विश्लेषण करने तथा समय रहते सुधारात्मक उपाय करने के लिए वे समुचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू करें। बैंक, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी तौर पर जारी की गयी लिखतों में निवेश उनकी निवेश नीति के अंतर्गत निर्धारित प्रणाली और प्रक्रियाओं के अनुसार किया गया है, समुचित प्रणालियाँ भी लागू करें।

बैंक तिमाही अंतरालों पर निम्नलिखित की समीक्षा करें:

- रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कुल कारोबार (निवेश तथा विनिवेश)
- गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन-एसएलआर) निवेश के लिए निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं का अनुपालन।
- गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन-एसएलआर) प्रतिभूतियों पर रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का अनुपालन।
- बैंक की बहियों में धारित निर्गम कर्ताओं/निर्गमों का दर निर्धारण से विचलन (माइग्रेशन) तथा पोर्टफोलियो गुणवत्ता में ह्रास।
- गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात श्रेणी में गैर निष्पादक निवेशों की सीमा

### प्रकटन

निवेशकर्ता बैंकों को चाहिए कि वे कर्जों के निजी नियोजन पर एक केंद्रीय डेटाबेस तैयार करने में सहायता के लिए अपने सभी प्रस्ताव दस्तावेजों की एक प्रति ऋण सूचना ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सीआइबीआइएल) को प्रस्तुत करें। निवेशकर्ता बैंक, किसी भी निजी तौर पर नियोजित कर्ज से संबंधित ब्याज/किस्त के संबंध में किसी चूक की रिपोर्ट भी प्रस्ताव दस्तावेज की एक प्रति के साथ ऋण सूचना ब्यूरो (इंडिया) लि. (सीआइसीआइएल) को दें।

बैंक, 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष से तुलन पत्र में लेखा नोट में गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन-एसएलआर) निवेश तथा गैर-निष्पादक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश की निर्गम कर्ता स्थिति के ब्यौरे घोषित करें।

### व्यापार/निपटान

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के दिशानिर्देशों के अनुसार किसी सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूति में हाजिर लेन-देन को छोड़कर सभी व्यापार केवल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापारिक प्लेटफॉर्म पर ही सम्पादित किए जाएँ। बैंक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के इन दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे। बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि सूचीबद्ध तथा गैर-सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में सभी हाजिर लेन-देन, तयशुदा लेन-देन प्रणाली (नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम) पर रिपोर्ट किए जाते हैं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित किसी तारीख से भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआइएल) के माध्यम से निपटाए जाते हैं।

### परिभाषाएँ

स्पष्टता की दृष्टि से तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन दिशानिर्देशों को लागू करने में कोई भिन्नता नहीं है, इस दिशानिर्देश में प्रयुक्त कुछ शर्तों की परिभाषा इस प्रकार हैं:

- किसी प्रतिभूति को दर-निर्धारित (रेटेड) माना जाएगा यदि उनकी भारत के किसी ऐसी बाह्य दर निर्धारण (रेटिंग) एजेंसी द्वारा विस्तृत रेटिंग की जाती है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत है तथा वर्तमान में अथवा विधिमान्य दर-निर्धारण करती है। दर-निर्धारण, जिस पर भरोसा किया जाय को वर्तमान अथवा विधिमान्य माना जाएगा यदि -
  - (i) भरोसा करने योग्य ऋण दर-निर्धारण पत्र निर्गम के जारी होने की तारीख से एक महीने से अधिक पुराना न हो; और
  - (ii) दर-निर्धारण एजेंसी से दर-निर्धारण का औचित्य निर्गम के जारी होने की तारीख से एक वर्ष से अधिक पुराना न हो; और
  - (iii) दर-निर्धारण पत्र तथा दर-निर्धारण औचित्य, प्रस्ताव दस्तावेज का एक हिस्सा हों।
  - (iv) अनुषंगी बाजार अधिग्रहण के मामले में, निर्गम का दर-निर्धारण लागू रहना चाहिए तथा इस की पुष्टि संबंधित दर-निर्धारण एजेंसियों द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन द्वारा की जानी चाहिए।
- वे प्रतिभूतियां जिन पर किसी बाहरी दर-निर्धारण एजेंसी द्वारा वर्तमान अथवा विधिमान्य दर-निर्धारण नहीं किया गया है, बिना दर-निर्धारित प्रतिभूतियाँ मानी जाएँगी।
- भारत में कार्यरत बाह्य दर-निर्धारण एजेंसियों में से प्रत्येक द्वारा दिया गया निवेश श्रेणी दर-निर्धारण, भारतीय बैंक संघ (आइबीए)/फिम्मडा द्वारा अभिनिर्धारित होगा। भारतीय बैंक संघ (आइबीए)/फिम्मडा द्वारा कम-से-कम वर्ष में एक बार इनकी समीक्षा भी की जाएगी।
- सूचीबद्ध प्रतिभूति वह प्रतिभूति है जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो। यदि ऐसा नहीं है तो इसे बिना सूचीबद्ध प्रतिभूति कहा जाएगा।
- अनर्जक निवेश (एनपीआइ) जो किसी अनर्जक अग्रिम (एनपीए) के समान है, वह है जहाँ -
  - (i) ब्याज/किस्त (अवधिसमाप्ति आय सहित) बकाया है तथा 180 दिनों से अधिक अवधि तक उसका भुगतान नहीं किया गया है। 31 मार्च 2004 से बकाया अवधि 90 दिन की होगी।
  - (ii) उपर्युक्त अधिमान शेयरों पर जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है, के लिए यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होगा।
  - (iii) इक्विटी शेयरों के मामले में यदि किसी कंपनी में निवेश को अद्यतन तुलन पत्र की अनुपलब्धता के चलते 1 रुपया प्रति कंपनी निर्धारित होता है तो उन इक्विटी शेयरों की भी अनर्जक निवेश (एनपीआइ) के रूप में गणना की जाएगी।

## बैंकिंग

### ग्रामीण आधारभूत विकास निधि पर ब्याज दरें संशोधित

घटती हुई ब्याज दरों के परिदृश्य और ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (आरआइडीएफ) के अंतर्गत ब्याज दर ढांचे को और अधिक युक्तिसंगत बनाने की जरूरत को देखते हुए भारत सरकार के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि पहली नवंबर 2003 से आरआइडीएफ-IV से IX की वितरित न की गयी राशियों के संबंध में उधार और जमा दरों को बदला जाए। संशोधित दरें इस प्रकार हैं :

| आरआइडीएफ | जमा राशियों पर बैंकों को देय ब्याज दरें | | राज्य सरकारों द्वारा ऋणों पर देय ब्याज दरें | |
|---|---|---|---|---|
| | *मौजूदा* | *संशोधित* | *मौजूदा* | *संशोधित* |
| IV से VII | 8 प्रतिशत | 6 प्रतिशत | 9 प्रतिशत | 7 प्रतिशत |
| VIII | कमी से जुड़ी हुई 8 से 5 प्रतिशत के बीच | बैंक दर तथा बैंक दर माइनस 3 प्रतिशत पॉइंट कृषि को उधार में कमी की सीमा पर निर्भर करते हुए (अर्थात् वर्तमान में यह 6 प्रतिशत और 3 प्रतिशत के बीच में घटती-बढ़ती रहती है।) | 8.5 प्रतिशत | बैंक दर + 0.5 प्रतिशत पॉइंट (अर्थात् वर्तमान में 6.5 प्रतिशत) |
| IX | कमी से जुड़ी हुई बैंक दर जमा + 1.5 प्रतिशत से बैंक दर माइनस 1.5 प्रतिशत के बीच घटती-बढ़ती हुई। | उपर्युक्त के अनुसार | बैंक दर + 2.0 प्रतिशत | उपर्युक्त के अनुसार |

अतएव आरआइडीएफ VIII तथा IX के मामले में जमाराशियों पर ब्याज की दरें कृषि को उधार में कमी से जोड़ी जाती रहेंगी और निम्नलिखित के अनुसार होंगी :

| शुद्ध बैंक ऋण में प्रतिशत के रूप में कृषि को उधार में कमी | आरआइडीएफ VIII तथा आरआइडीएफ IX में की जानेवाली संपूर्ण जमाराशि पर ब्याज की दर (प्रतिशत प्रति वर्ष) |
|---|---|
| 2.0 प्रतिशत पॉइंट से कम | बैंक दर (वर्तमान में 6.0 प्रतिशत) |
| 2.0 और अधिक लेकिन 5.0 प्रतिशत पॉइंट से कम | बैंक दर माइनस 1 |
| 5.0 और अधिक लेकिन 9.0 प्रतिशत पॉइंट से कम | बैंक दर माइनस 2 |
| 9.0 प्रतिशत पॉइंट और अधिक | बैंक दर माइनस 3 |

आपको याद होगा कि आरआइडीएफ की स्थापना वर्ष 1995-96 में केंद्रीय वित्त मंत्री महोदय के बजट भाषण के अनुसरण में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ मिल कर की गयी थी और इसका उद्देश्य लघु और मध्यम सिंचाई, भूसंरक्षण, वाटर-शेड प्रबंधन तथा ग्रामीण आधारभूत ढांचे के अन्य स्वरूपों से संबंधित निरंतर चलनेवाली परियोजनाओं को तेज़ गति से पूरा करने में राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों की सहायता करना था। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र, दोनों में घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र/कृषि को उधार देने में अपनी कमी के आधार पर आरआइडीएफ में अंशदान करें।

### विदेशी बैंकों द्वारा लाभ भेजना

रिज़र्व बैंक ने भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों को सूचित किया है कि वे अपने प्रधान कार्यालय को तिमाही आधार पर अपने भारतीय परिचालन से प्राप्त सामान्य कारोबार के सिलसिले में तिमाही के दौरान अर्जित किए गए लाभ/अतिरिक्त आय (कर का निवल) भेज सकते हैं। विदेशी बैंक अपना लाभ रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति लिए बिना भेज (रेमिट) सकते हैं बशर्ते उनके खातों की तिमाही आधार पर लेखा परीक्षा की गयी हो और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11(2)(बी)(ii) के प्रावधानों के अनुसार सांविधिक प्रारक्षित निधि में समुचित अंतरण किए गए हों तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अन्य संगत प्रावधानों और रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों का पालन किया गया हो। अधिक राशि रेमिट किये जाने की स्थिति में विदेशी बैंक का प्रधान कार्यालय इस कमी को शीघ्र पूरा करे।

तिमाही रेमिटेंस के पूर्ण ब्यौरे प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, केंद्र-1, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400005 तथा प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय भवन, फोर्ट, मुंबई-400001 को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

### समाशोधन अन्तर प्रविष्टियाँ

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया है कि शाखाओं में पुरानी तथा कम मूल्य की समाशोधन अन्तर प्रविष्टियों का समायोजन, प्रविष्टियों का प्रधान कार्यालय में अंतरण, प्रधान कार्यालय में समायोजन तथा प्रधान कार्यालय में बट्टे खाते डालना/अंतरण की एक सौ प्रतिशत लेखा परीक्षा, कम-से-कम निम्नलिखित में से दो, यथा: समवर्ती लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा तथा सांविधिक लेखा परीक्षा के अधीन किया जाए।

### स्थायी सुविधाएं तर्कसंगत बनायी गयीं

क्षेत्र विशेष से संबंधित स्थायी सुविधाओं को समाप्त करने की दृष्टि से और उन दरों को तर्क संगत बनाने की दृष्टि से, जिन पर प्रणाली में चलनिधि इंजेक्ट की जाती है, यह निर्णय लिया गया है कि स्थायी सुविधाओं के *सामान्य* और *बैंक-स्टाप* भाग 27 दिसंबर, 2003 से शुरू होने वाले पखवाड़े से एक-तिहाई से दो तिहाई (33:67) के अनुपात में उपलब्ध होंगे।

कुछेक सीमाओं के अधीन, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से स्थायी सुविधा (पुनर्वित्त के लिए पात्र निर्यात ऋण) के लिए पात्र हैं और प्राथमिक व्यापारी संपार्श्विकृत चलनिधि सहायता के लिए पात्र हैं। ये सीमाएं सामान्य सुविधा और बैक-स्टाप सुविधा में विभाजित की गयी हैं। इससे पूर्व, वर्तमान में, सामान्य और बैक-स्टाप सुविधाओं के बीच प्रभाजन प्रत्येक के लिए आधा-आधा था।

### बैंक तय करेंगे खुदरा ऋण ब्याज दर

बैंकों को अब (i) उपभोग की टिकाऊ वस्तुओं को खरीदने (ii) शेयरों तथा डिबेंचरों/बॉण्डों के बदले व्यक्तियों को ऋणों और अग्रिमों, तथा (iii) कर्ज की मात्रा को ध्यान में न रखते हुए अन्य गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के व्यक्तिगत कर्जों के लिए ब्याज दर निर्धारण की स्वतंत्रता दी गयी है। अलबत्ता, बैंकों के पास इस संबंध में अपने बोर्डों द्वारा अनुमोदित एक पारदर्शी तथा वस्तुनिष्ठ नीति होनी चाहिए।

इससे पूर्व, बैंकों को सूचित किया गया था कि वे ऋण के आकार पर ध्यान दिये बिना इस तरह के अग्रिमों पर प्रमुख उधार दर (पीएलआर) से कम पर ब्याज दर वसूल न करें।

### प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार

#### *ब्याज दर में कमी*

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में परिचालनरत सभी विदेशी बैंकों को सूचित किया है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के लक्ष्य की प्राप्ति में कमी को पूरा करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआरडीबीआइ) के पास उनके द्वारा जमा की गयी राशियों पर ब्याज दर 3 नवंबर 2003 से बैंक दर के बराबर होगी।

इससे पूर्व, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के पास विदेशी बैंकों द्वारा जमा की गई ऐसी राशियों पर ब्याज दर 6.75 प्रतिशत थी।

#### *शैक्षिक ऋण योजना*

भारत तथा विदेशों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए योग्य/मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे अप्रैल, 2001 में उन्हें भेजे गए दिशानिर्देशों पर आधारित एक शैक्षिक ऋण योजना तैयार करें।

बैंकों को गरीब और निर्धन छात्रों को अधिक उधार देने के लिए प्रेरित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि आदर्श योजना में दर्शाये अनुसार भारत में अध्ययन हेतु 7.50 लाख रुपये और विदेश में अध्ययन हेतु 15 लाख रुपये की उच्चतम सीमा तक दिये जाने वाले शैक्षिक ऋण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत माने जाएं।

#### *लघु उद्योग*

लघु उद्योग क्षेत्र को और अधिक ऋण देने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण देने के प्रयोजन से वित्तीय कम्पनियों को बैंकों द्वारा दिए गए नए ऋणों को भी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण के अन्तर्गत हिसाब में लिया जाएगा।

#### *संपार्श्विक रहित ऋण*

लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने में और अधिक सुधार लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि बैंक लघु उद्योग इकाइयों के अच्छे रिकार्ड और अच्छी वित्तीय स्थिति के आधार पर संपार्श्विक अपेक्षा के वितरण (डिस्पेंसेशन) के लिए ऋण सीमा, अपने बोर्डों के अनुमोदन से 15 लाख रुपये से बढ़ा कर 25 लाख रुपये कर सकते हैं (समुचित प्राधिकारी के अनुमोदन से)।

### स्टॉकनिवेश योजना समाप्त की गयी

रिज़र्व बैंक ने तत्काल प्रभाव से स्टॉकनिवेश (स्टॉकइन्वेस्ट) योजना समाप्त कर दी है। यह देखा गया था कि प्राथमिक बाजार में शेयरों के आबंटन के आवेदन के लिए भुगतान के एक साधन के रूप में स्टॉक निवेश का प्रयोग काफी कम हो गया है। इसके अलावा, प्राथमिक निर्गमों के अंतर्गत आबंटन अवधि को कम करने के लिए सेबी द्वारा किये गए कई उपाय किये गये हैं। इन उपायों के कारण भी आबंटन की प्रक्रिया में विलंब की वजह से निवेशकों को होने वाली परेशानियां काफी हद तक कम हो गयी हैं।

## विदेशी मुद्रा

### भारत में परियोजना कार्यालय खोलना और आस्तियां भेजना

परियोजना कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रक्रिया को उदार और सरल बनाये जाने के विचार से रिज़र्व बैंक ने विदेशी इकाइयों को भारत में निम्नलिखित शर्तों पर परियोजना कार्यालय स्थापित करने के लिए सामान्य अनुमति दी हैं :

(क) उसने भारतीय कंपनी से भारत में किसी परियोजना को पूरा करने के लिए ठेका प्राप्त किया हो; और
(ख) परियोजना का वित्तपोषण विदेश से आवक प्रेषण द्वारा किया गया हो; अथवा
(ग) परियोजना का वित्तपोषण द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसी द्वारा किया गया हो;
(घ) परियोजना का अनुमोदन किसी उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा किया गया हो; अथवा
(ज्ञ) ठेका देने वाली भारत में कंपनी अथवा इकाई को परियोजना के लिए भारत में स्थित किसी सरकारी वित्तीय संस्था अथवा किसी बैंक द्वारा मीयादी ऋण मंजूर किया गया हो।

विदेशी कंपनी निम्नलिखित विवरण देते हुए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पास, जिसके क्षेत्रीय कार्यालय में परियोजना स्थित है, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी :

**आ. एन. 35646/79** बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या 24 **Regd. No. TECH/47-290/MBI-2003-05**
29 नवम्बर तथा 1 दिसंबर 2003 को भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

रिपोर्ट में निम्नलिखित ब्यौरे होने चाहिए:

(क) विदेशी कंपनी का नाम और पता

(ख) उल्लिखित ठेका देने वाले पत्र की संदर्भ संख्या और तारीख

(ग) परियोजना/ठेका देने वाले प्राधिकरण का विवरण

(घ) ठेके की कुल राशि

(ङ) परियोजना कार्यालय का पता और उसका कार्यकाल

(च) शुरू की गई परियोजना का स्वरूप

परियोजना कार्यालय को यदि विदेशी मुद्रा खाता खोलने की ज़रूरत हो तो इसकी अनुमति के लिए वह रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करेगा। विदेशी मुद्रा खाता खोलने के ऐसे आवेदनों के साथ निम्नलिखित विवरण दिया जाना चाहिए :

- विदेशी मुद्रा खाता खोलने के कारण
- संबंधित परियोजना कार्यालय के ठेके का उद्धरण जिससे निश्चित किया जा सके कि उसमें विदेशी मुद्रा में भुगतान/प्राप्त करने के लिए व्यवस्था की गयी है।
- परियोजना की कुल राशि

विदेशी इकाइयों को परियोजना के समापन/पूर्ण होने पर अधिशेष राशि को प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से प्रेषण करने की सामान्य अनुमति भी दी गयी है। प्राधिकृत व्यापारी अपने संबंधित ग्राहकों से ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर निर्धारित शर्तों पर प्रेषण करने की अनुमति दे सकते हैं। परियोजना कार्यालय द्वारा अपने अस्थायी अधिशेष राशि को बीच-बीच में भेजते रहने के लिए प्रेषण करने के अनुरोध के मामले में प्राधिकृत व्यापारी आवश्यक अनुमोदन के लिए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

## शहरी सहकारी बैंक

### सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बांड रखने के लिए डीमैट खाता

रिज़र्व बैंक ने सभी प्राथमिक (शहरी) बैंकों को सूचित किया है कि वे निजी क्षेत्र के उद्यमों की प्रतिभूतियाँ धारण करने के लिए एसजीएल/सीएसजीएल खाते के अतिरिक्त एनएसडीएल/सेंट्रल डिपाज़िटरी सर्विसेज़ लिमिटेड या स्टाक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआइएल) सीडीएसएल के किसी बैंक निक्षेपागार के सहभागी में एक डीमैट खाता खोल सकते हैं।

एसजीएल/सीएसजीएल खाता होने से सहभागी केवल उन्हीं प्रतिभूतियों को धारण कर सकते हैं जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार/राज्य सरकारों की तरफ़ से जारी किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (केंद्रीय स्तर या राज्य स्तर पर) द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ इसकी परिधि में नहीं आतीं। अत: बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूतियों को भारतीय रिज़र्व बैंक में रखे गए श्रेष्ठ खातों (गिल्ट अकाउंट) में डीमैट रूप में नहीं रख सकते। इसे देखते हुए, शहरी सहकारी बैंकों को अतिरिक्त डीमैट खाता खेलने के बारे में सूचित किया गया है।

### डमी चेक

रिज़र्व बैंक ने सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया है कि वे अपने संबंधित स्टाफ को डमी चेक स्वीकार न करने/उन्हें समाशोधन में प्रस्तुत न करने के प्रति आगाह कर दें।

यह पाया गया था कि व्यवसायवर्धक सामग्री के रूप में कुछ वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी डमी चेकों का कुछ सहकारी बैंकों द्वारा उन्हें समाशोधन में प्रस्तुत करके तथा इसके द्वारा आदेशिती बैंकों पर गलत दावा करके दुरुपयोग किया गया था। प्रस्तुतकर्ता बैंकों ने लिखतों पर मुद्रित *डमी* शब्द पर ध्यान नहीं दिया था। चेक की तरह दिखने वाले ऐसे भुगतान लिखतों को गलती से हाथ से कूटबद्ध करके राशि क्षेत्र में रकम लिख दी गयी थी। अलबत्ता, चूँकि शेष माइकर बैंड को माइकर स्याही में कूटबद्ध नहीं किया जाता है, इसलिए इस प्रकार के सभी डमी चेकों को प्रणाली द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। यदि प्रस्तुतकर्ता बैंक द्वारा इस प्रकार के चेकों को उनके हिस्से पर कूटबद्ध किया जाता है तो आदेशिती बैंक को गलती से नामे खाते लिख दिया जाएगा।

### 3 नवम्बर 2003 को घोषित वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक तथा ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा की मुख्य-मुख्य बातें

**घरेलू गतिविधियां**

- वर्ष 2003-04 में घरेलू सकल उत्पाद वृद्धि 6.5 - 7.0 प्रतिशत पर आंकी गयी है जो अप्रैल में लक्षित 6.0 प्रतिशत की तुलना में वृद्धि की ओर झुकाव दर्शाती है।
- नीति के लिए मुद्रास्फीति 4.0 - 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है जिसमें पहले लक्षित 5.0 - 5.5 प्रतिशत की तुलना में संभावित रूप से गिरावट की ओर झुकाव हो सकता है।
- मुद्रा आपूर्ति ($M^3$) अप्रैल में अनुमान किये गये लक्षित स्तर के भीतर ही रहेगी।
- निगमों तथा आवासीय खंड को छोड़ कर बैंकों की ब्याज दरों में अभी उल्लेखनीय गिरावट होनी बाकी है।
- विदेशी मुद्रा बाज़ार में ठीक-ठीक स्थितियां देखने को मिलीं।
- रुपये में अमेरिकी डॉलर की तुलना में सुधार लेकिन यूरो, पाउंड स्टर्लिंग तथा जापानी येन की तुलना में गिरावट।
- मार्च के अंत की स्थिति की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडारों में 17.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई और वे अक्तूबर 2003 के अंत की स्थिति के अनुसार 92.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गये और वे इस समय बेहद मज़बूत स्थिति में है।
- विनिमय दर प्रबंधन, अतीत की तरह लचीलेपन पर आधारित रहा और इसके लिए कोई निर्धारित या पूर्वघोषित लक्ष्य नहीं था, लेकिन दखल देने की योग्यता को ध्यान में रखा गया।
- 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिसर्जेंट इंडिया बॉंड्स वित्तीय बाज़ार तथा भंडारों पर कोई प्रतिकूल असर डाले बिना चुकाये गये।
- पहली छमाही में, अमेरिकी डॉलर के रूप में, निर्यातों में 10.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई और आयात वृद्धि 21.4 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर रही जो आर्थिक गतिविधि में उछाल को दर्शाती है। इसे उच्चतर पूंजी माल के आयातों के रूप में देखा जा सकता है।

**समग्र मूल्यांकन**

- हाल ही के वर्षों में निचली मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षाओं से हुए लाभों को एक जगह लाये जाने तथा और अधिक बढ़ाये जाने की ज़रूरत।

**अवस्थिति**

- उच्चतर घरेलू सकल उत्पाद, नरम मुद्रास्फीति स्थिति, मुद्रा आपूर्ति में कम वृद्धि तथा मज़बूत पूंजीगत प्रवाहों की उम्मीदें अप्रैल 2003 में घोषित मौद्रिक नीति की समग्र अवस्थिति को जारी रखने के लिए प्रेरित करती हैं।
- मौद्रिक नीति की अवस्थिति, नरम तथा लचीले ब्याज दर परिवेश के लिए प्राथमिकता के साथ मूल्य स्तर पर निगाह रखते हुए ऋण वृद्धि को पूरा करने तथा निवेश मांग का समर्थन देने के लिए पर्याप्त चलनिधि के प्रावधान करना बनी रही है।
- आम आदमियों द्वारा लेनदेनों को आसान बनाने के लक्ष्य के साथ उपायों को लागू करने पर ज़ोर देते हुए उन्हें जारी रखना।
- मध्यावधि में परामर्शदात्री प्रक्रिया के ज़रिए संस्थागत क्षमता को मज़बूत करते हुए स्थिरता के साथ आर्थिक वृद्धि को समर्थन देना।

**उपाय**

- बैंक दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया।
- नकदी प्रारक्षित अनुपात 4.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया।
- आइबीए बैंकों को बेंच-मार्क प्राइम लेंडिंग रेट के बारे में सूचित करेगा।
- कृषि तथा लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण सुपुर्दगी में सुधार के लिए उपाय।
- ऋण प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए माइक्रो वित्त ढांचे में क्रियाविधियों को सरल बनाने तथा संपूर्ण लचीलापन लाने का प्रस्ताव।
- बैंक, निर्यातकों के लिए तथा विदेशी मुद्रा व्ययों को छोड़ कर निगमों को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के विदेशी मुद्रा ऋणों की हैजिंग सुनिश्चित करेंगे।
- निर्यात आय की वसूली में तथा अतिदेय राशियों को बट्टे खाते डालने में कैलेण्डर वर्ष में निर्यातकों के निर्यात आयों के 10.0 प्रतिशत तक लचीलापन।
- ऋण चुकौती में असंतुलन मान्यता के लिए 90 दिन का मानदण्ड अपनाने के लिए वित्तीय संस्थाओं के लिए सुगम मार्ग।
- आरटीजीएस प्रणाली जनवरी 2004 में शुरू करने की योजना।
- जनता की सुविधा के लिए सरकारी कारोबार करने के लिए चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंक प्राधिकृत किये गये।
- इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज़ (ईसीएस) के ज़रिए कर वापसी के भुगतान की शुरुआत की जायेगी।

**अल्पना किल्लावाला** द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ॲल्को कॉर्पोरेशन**, शाह ॲण्ड नहार इंडस्ट्रिअल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में मुद्रित । **वार्षिक शुल्क : 12 रुपये मात्र । ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन विभाग (विक्री विभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड, पो. बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें । इंटरनेट www.cir.rbi.org.in /hindi पर भी उपलब्ध।**